न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 77 / 2022
बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय गर्ग ...प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स देव गिरी फुड प्रोडक्ट
पता–ग्राम गणेशपुरा पोस्ट सूरजपुरा दौसा जिला दौसा राजस्थान–303303
श्री कृष्ण अवतार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा (प्रोपराईटर एवं गारंटर)
ग्राम गणेशपुरा पोस्ट सूरजपुरा दौसा जिला दौसा राजस्थान–303303
2. श्री बाबूलाल शर्मा (गारंटर)
ग्राम गणेशपुरा पोस्ट सूरजपुरा दौसा जिला दौसा राजस्थान–303303

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री डिपेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

दिनांक: 22.09.2022

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दौसा ने अप्रार्थी / ऋणी श्री कृष्ण अवतार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा ग्राम गणेशपुरा पोस्ट सूरजपुरा दौसा जिला दौसा राजस्थान को 15,00,000 / –(रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी व सहऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर पाने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

प्रार्थना पत्र सं0 77/2022

नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री बाबूलाल शर्मा की आवासीय सम्पत्ति पटटा संख्या 47 खसरा नंबर 105, ग्राम गणेशपुरा पोस्ट सूरजपुरा तहसील व जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 300.00 वर्गगज है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:54:20 IST
Reason: SelfAttested